केन्द्रीय स्कीम की राशि

सं०सं०-03/यो०-स०क०-48/2023/........ 14

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह,(भा०प्र०से०),
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना। पटना, दिनांक -...08.01.2025...

विषय:- **वितीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना के अन्तर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना के संचालनार्थ रू० 967.50 लाख (नौ करोड सडसठ लाख पचास हजार) रू० मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बालिकाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल विकास, तकनीकी विकास आदि के माध्यम से सशक्त कर उन्हें समाज के अन्य प्रक्षेत्रों यथा खेल-कूद, व्यायाम, आत्मरक्षा इत्यादि से जोडते हुए उनका सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना के अन्तर्गत बेटी बचाओं-बेटी पढाओं योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वितीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत सम्बल उप योजना अन्तर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना के संचालनार्थ कुल रू० 1290.01 लाख (बारह करोड नब्बे लाख एक हजार) रू० मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 65 दिनांक 21.06.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त रू० 967.50 लाख (नौ करोड सडसठ लाख पचास हजार) रू० मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	CSS Code	SLS Code	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	**मिशन शक्ति (सम्बल)- बेटी बचाओ-बेटी पढाओं (विपत्र कोड – 51-2235021030231)**	3979	BR223	1290.01	967.50
कुल (नौ करोड सडसठ लाख पचास हजार रू० मात्र)					967.50

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित जिलें के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०सं०- सं०सं०-03/यो०-स०क०-48/2023 के टिप्पणी पृष्ट सं0 11/टि0 पर दिनांक 24.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०सं०-03/यो०-स०क०-48/2023 के टिप्पणी पृष्ट सं0-15/टि0 पर दिनांक 08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- सं०सं०-03/यो०-स०क०-48/2023 /........ /.....14...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस.,/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- सं०सं०-03/यो०-स०क०-48/2023 /........ /.....14...../दिनांक-08.01.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- सं०सं०-03/यो०-स०क०-48/2023 /........ /.....14...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........ /.....14...../दिनांक-08.01.2025

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।